न्यायालय- विशिष्ट न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट न्यायालय (अपर सेशन न्यायाधीश) रामगंजमण्डी, जिला- कोटा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **शैलेष जड़िया,** आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

चरण सिंजह पुत्र श्याम सिंह, उम्र 23 साल, निवासी सूराखेडी थाना गरोठ तहसील शामगढ़ जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश

.....प्रार्थी/अभियुक्त

-ब ना म-

राजस्थान राज्य, जरिये अपर लोक अभियोजक रामगंजमंडी, जिला-कोटा (राज.)

.....अप्रार्थी/अभियोगी

(जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-164/2026)

जमानत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,
(एफआईआर संख्या-39/2026, पुलिस थाना-चेचट)
अपराध अन्तर्गत धारा-8/15, 8/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट

उपस्थितः-

1- अधिवक्ता श्री चन्दन गुप्ता - प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से
2- विद्वान अपर लोक अभियोजक - अप्रार्थी राज्य की ओर से

- आदेश- दिनांकः-12.06.2026

01. प्रार्थी/अभियुक्त **चरण सिंह** की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जरिये अधिवक्ता पेश किया गया। प्रार्थना पत्र की नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। केस डायरी का अवलोकन किया गया।

02. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि, ''दिनांक 11.02.2026 को श्री सुरेन्द्र कुमार पुलिस निरीक्षक मय हमराही जाप्ता समय 10.44 पीएम पर वास्ते चैकिंग गुण्डा बदमाशान, अवैध कार्यों की चैकिंग जुआ सट्टा, शराब व अवैध कार्यों की धरपकड़ हेतु थाने से रवाना होकर 8 लाईन दिल्ली बडोदरा मुम्बई एक्सप्रेस-वे इन्टरचेंज के पास चेचट पर समय 11 पीएम पर पहुंचकर नाकाबंदी शुरू की गई। दौराने चैकिंग समय 11.40 पीएम पर एक फोर व्हीलर कार महिन्द्रा XUV 500 DL3CCC8482 बरंग सफेद की 8 लाईन दिल्ली बडौदरा मुम्बई एक्सप्रेस-वे पर भानपुरा मध्यप्रदेश की तरफ से आई जिसके वाहन चालक ने पुलिस नाकाबंदी व पुलिस बावर्दी जाप्ता को देखकर अचानक कार की स्पीड बढा दी जिस पर संदेह होने पर जाप्ता की मदद से गाडी के आगे बैरिकेट लगाकर कार को रोकना चाहा लेकिन कार चालक अपनी कार को और तेज गति से बैरिकेट के टक्कर

मारकर कोटा की तरफ भगाकर ले गया, जिसका उसने जाप्ता की मदद से प्राईवेट वाहन से पीछा किया तो कार महिन्द्रा XUV 500 DL3CCC8482 का चालक उसकी गाडी को टनल के पास से वापस मोडकर चेचट की तरफ लेकर 8 लाईन टोल चेचट की तरफ तेज गति से भगाकर लेकर आया। गाडी तेज गति मे होने के कारण अनबेलेन्स होकर इन्टरचेन्ज के पास लगे रोड लाईट के लोहे के खम्भे के टक्कर मारती हुई रोड के साईड के गड्डे मे जाकर गिर गई। उसके उपरान्त गाडी के पास जाकर देखा तो गाडी में दो व्यक्ति बैठे हुये नजर आये, जिसके चालक से अपना नाम पता पुछा तो गाडी चालक ने घबराते हुये अपना नाम रतन कुमार पुत्र गुरचरण सिंह जाति चमार उम्र 40 साल निवासी वार्ड नं. 01 खनोरी मण्डी थाना खनोरी जिला संगरुर (पंजाब) का होना बताया तथा दूसरे व्यक्ति से अपना नाम पता पुछा तो उसने भी घबराते हुये अपना नाम महीपाल सिंह पुत्र खजान सिंह जाति जाट उम्र 33 साल निवासी करोदा थाना खनोरी जिला संगरुर (पंजाब) का होना बताया। उक्त दोनों डिटेन शुदा व्यक्तियो को कार को पुलिस जाप्ता देखकर तेज गति से बेरिकेट के टक्कर मारकर, गाडी को भगाकर ले जाने के बारे मे पुछा तो दोनों व्यक्ति घबराने लगे। दोनो डिटेन शुदा व्यक्तियो से घबराने का कारण पुछा तो कोई सन्तोषप्रद जवाब नही दिया व पसीना पसीना होने लगे जो संदेहासप्रद लगते है। उक्त दोनों डिटेन शुदा व्यक्तियो की गतिविधि संदिग्ध नजर आ रही है। इस पर उसने उक्त डिटेन शुदा दोनों व्यक्तियो के पास व कार में कोई अवैध वस्तु या हथियार होने का संदेह हुआ। इस कारण उसने उक्त डिटेन शुदा कार व डिटेन शुदा दोनों व्यक्तियो की तलाशी लेना आवश्यक होने से कार से उतरकर भागने वाले डिटेन शुदा दोनों व्यक्तियो रतन कुमार व महिपाल सिंह को यथास्थिति खडे रहने की हिदायत कर हमराही जाप्ता में से श्री दिनेश कुमार कानि. 136 को समय-12.10 ए.एम. पर दो स्वतंत्र गवाह तलाश कर लाने के लिये हुकमनागा देकर रवाना किया। श्री दिनेश कुमार कानि. 136 ने 10 मिनट बाद समय 12.20 ए.एम. पर वापस आकर नोटिस पर लिखित में अपना जवाब पेश कर बताया कि मैंने आस पास जाकर स्वंतत्र गवाह तलाश किये लेकिन रात्रि का समय होने से कोई स्वतंत्र गवाह नहीं मिला। ऐसी सूरत मे डिटेनशुदा शख्स रतन कुमार व महिपाल सिंह व उनके कब्जे शुदा कार DL3CCC8482 बरग सफेद की तलाशी लेना आवश्यक होने से हमराही जाप्ता में से श्री दिनेश कुमार कानि. 136 व श्री रामकिशोर कानि. 291 को रोके गये व्यक्तियो रतन कुमार व महिपाल सिंह व उनके कब्जे शुदा कार DL3CCC8482 बरंग सफेद की तलाशी लेने हेतु गवाह बनने की लिखित सहमति चाहने बाबत समय 12.30 ए.एम. पर नोटिस दिया गया। दिये गये नोटिस पर श्री दिनेश कुमार कानि. 16 द्वारा समय 12.40 ए.एम. व श्री रामकिशोर कानि. 291 द्वारा समय 12.45 ए.एम. पर लिखित मे सम्पुर्ण कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति दी गई। तत्पश्चात उसने डिटेन शुदा पहले व्यक्ति रतन कुमार को उसकी व गाडी की तलासी बाबत धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट का नोटिस समय 12.50 ए.एम. पर व डिटेन शुदा दुसरे व्यक्ति महिपाल सिंह को उसकी व गाडी की तलासी बाबत धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट का नोटिस समय 01.00 ए.एम. पर अलग-अलग देकर बताया कि मैं सुरेन्द्र कुमार पु०नि० थानाधिकारी थाना चेचट हूँ मुझे आपके पास व आपके कब्जे शुदा कार DL3CCC8482 बरंग सफेद में कोई अवैध वस्तु या अवैध हथियार होने का सन्देह है।

यह आपका विधिक अधिकार है कि आप अपनी-अपनी व अपने कब्जे कार DL3CCC8482 बरंग सफेद की तलाशी किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष लिवा सकते है। किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के पास आपको लेकर जा सकते है या उन्हे मौके पर बुला सकते है। उक्त अधिकारी को आप के पास व आपके कब्जे शुदा कार में कोई अवैध वस्तु या सामग्री नहीं मिलती है तो मजिस्ट्रेट साहब आपको उन्मोचित भी कर सकते है। यह आपका कानूनी अधिकार है। जिस पर डिटेन शुदा पहले व्यक्ति रतन कुमार ने समय 01.10 ए.एम. पर व डिटेन शुदा दुसरे व्यक्ति महिपाल सिंह ने समय 01.20 ए.एम. पर अपने-अपने धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट के नोटिस पर अपना-अपना जवाब लिखकर दिया की मैं अपनी व अपने कब्जे शुदा कार की तलाशी आप स्वंय सुरेन्द्र कुमार पु०नि० थानाधिकारी थाना बेचट से लिवाना चाहते है। किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी से नहीं। तत्पश्चात समय 01.25 ए.एम. पर श्री सुरेन्द्र कुमार पु०नि० व स्वतंत्र गवाहान ने अपनी तलाशी डिटेनशुदा दोनो शख्स रतन कुमार व महिपाल सिंह को दी तो पहनी हुई वर्दी व दैनिक उपयोग की वस्तु के अलावा कोई आपत्तिजनक वस्तु दस्तयाब नही हुई। समय 01.30 ए.एम. पर श्री सुरेन्द्र कुमार पु०नि० ने स्वंय की व गवाहान की तलाशी देने व लेने के बाद किसी के पास पहनी हुई वर्दी व दैनिक उपयोग की वस्तु के अलावा कोई वस्तु दस्तयाब नही हुई। श्री सुरेन्द्र कुमार पु०नि० थानाधिकारी ने स्वतंत्र गवाहान के समक्ष डिटेन शुदा रतन कुमार व महिपाल सिंह के कब्जे शुदा कार DL3CCC8482 बरंग सफेद को चैक किया तो गाडी के अन्दर पिछली सीट पर व डिग्गी में काले रंग के प्लास्टिक के कट्टे भरे हुये थे। इस पर गाडी में भरे हुये काले रंग के प्लास्टिक के कट्टो को गिनती करते हुये बाहर निकाला तो कुल 10 कट्टे हुये। सभी कट्टे काले रंग के प्लास्टिक के थे। सभी कट्टो का मुँह प्लास्टिक के धाँगे से सिला हुआ था।। सभी प्लास्टिक के कट्टों का मुँह खोलकर देखा तो सभी कट्टो में हल्के भूरे रंग का छिलकानुमा पदार्थ भरा मिला जिनको देखा, सूंधा, परखा तो अनुभव के आधार पर सगी कट्टो में मादक पदार्थ अफीम डोडा चूरा होना पाया व हमराही जाप्ते को भी दिखाया सुघांया तो सभी ने अनुभव के आधार पर अफीम डोडा चूरा होना बताया। शख्स रतन कुमार व महिपाल सिंह से भी पूछा तो उसने भी मादक पदार्थ अफीम डोडा चूरा होना बताया। शख्स रतन कुमार व महिपाल सिंह से मादक पदार्थ अफीम डोडा चूरा को अपने कब्जे में रखने एवं परिवहन करने के सम्बन्ध मे अनुज्ञापत्र/लाईसेन्स चाहा तो दोनों के पास नही होना बताया। शख्स रतन कुमार व महिपाल सिंह द्वारा अपने कब्जे शुदा कार में अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडा चूरा रखना व परिवहन करना अपराध धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध होने से अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडा चूरा का इलेक्ट्रोनिक काँटा से बारी बारी से प्रत्येक कट्टे का तोल किया तो 10 कट्टो मे भरे हुये अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा का बारदाना सहित कुल 196 किलो 260 ग्राम हुआ। इस प्रकार अभियुक्तगण के कब्जे से मिले अवैध मादक पदार्थ एवं कार को जब्त किया गया। अभियुक्तगण को पृथक से जरिये फर्द गिरफ्तारी गिरफ्तार किया गया...इत्यादि।"

03. उक्त फर्द चैकिंग एवं जब्ती रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना-चेचट जिला कोटा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-39/2026, अपराध अंतर्गत धारा-8/15, 8/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान किया गया।

04. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान् अधिवक्ता का कथन रहा कि प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त कतई निर्दोष है, प्रार्थी को महज शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। प्रार्थी सुरखेडी मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी है जिसके फरार होने या गवाहान को टेम्परविद करने का कोई अंदेशा नहीं है तथा ट्रायल में लम्बा समय लगने की संभावना है। प्रार्थी/अभियुक्त से प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण किया चुका है। इन तथ्यों के आधार पर प्रार्थीया/अभियुक्त को जमानत का लाभ प्रदान किए जाने का निवेदन किया।

05. इसके विपरीत अपर लोक अभियोजक ने अधिवक्ता प्रार्थीया/अभियुक्त के तर्कों का विरोध करते हुए कथन किया कि अभियुक्त पर आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति के अपराध हैं। प्रकरण में जब्तशुदा मादक पदार्थ की मात्रा अधिक होकर वाणिज्यिक श्रेणी की मात्रा हैं। अतः प्रार्थीया/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत उक्त जमानत आवेदन पत्र अस्वीकार कर खारिज किये जाने का निवेदन किया।

06. बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

07. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत जुगलकिशोर बनाम राजस्थान राज्य, जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-13513/2020, आदेश दिनांक-26.11.2020 में पारित दिशा-निर्देशों की पालना में अनुसंधान डायरी पर उपलब्ध प्रार्थी/अभियुक्त के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड निल बताया गया है।

08. केस डायरी के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या यह जाहिर है कि प्रकरण में जब्तीकर्ता श्री सुरेन्द्र कुमार, पुलिस निरीक्षक थाना चेचट मय जाब्ता द्वारा दिनांक 11.02.2026 को फोर व्हीलर कार महिन्द्रा XUV 500 DL3CCC8482 से परिवहन के दौरान अभियुक्तगण रतन कुमार व महीपाल सिंह के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ 'अफीम डोडा-चूरा' कुल वजन मय बारदाना 196 किलो 260 ग्राम बरामद किया गया, जिसे रखने एवं परिवहन करने के संबंध में कोई अनुज्ञा पत्र उक्त अभियुक्त के पास नहीं होना पाया गया। दौराने अनुसंधान अभियुक्तगण रतन कुमार व महीपाल सिंह द्वारा मादक पदार्थ अफीम का डोडा चूरा प्रार्थी/अभियुक्त चरण सिंह खरीदकर लाना बताया है तथा अनुसंधान से प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 8/29 एनडीपीएस एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया गया है। इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध गंभीर प्रकृत्ति के अपराध है।

(i) प्रकरण में जब्तशुदा अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडा-चूरा की मात्रा 196 किलो 260 ग्राम होकर वाणिज्यिक मात्रा है। इस संबंध में **माननीय उच्चतम न्यायालय**

द्वारा न्यायिक विनिश्चय स्टेट ऑफ केरला वगैरह बनाम राजेश वगैरह क्रिमिनल अपील नं.-154-157 निर्णय दिनांक-24.01.2020 में यह विनिश्चित किया है कि-

> Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, Sec. 37 and Cr.P.C., 1973, Sec. 439-post arrest bail Enlargement of bail to any person accused of commission of an offence under the Act, unless the two conditions are satisfied (i) That the prosecution must be given an opportunity to oppose the application and (ii) Court must be satisfied that there are reasonable grounds for believing that the accused is not guilty of such offence-Where either of these two conditions is not satisfied, the ban for granting bail operates.

(ii) अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, अपराध की गंभीरता, जब्तशुदा मादक पदार्थ की वाणिज्यिक मात्रा आदि को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र इस प्रक्रम पर स्वीकार करने योग्य नहीं पाया जाता है।

09. अतः उपरोक्त तथ्यों के मध्नजर प्रार्थीया/अभियुक्त **चरण सिंह** की ओर से पेश जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(शैलेष जड़िया)
विशिष्ट न्यायाधीश
एन.डी.पी.एस. एक्ट न्यायालय
रामगंजमंडी, जिला कोटा(राज.)

09. आदेश आज दिनांक 12.06.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर मुद्रांकित किया जाकर सुनाया गया।

UMASHANKER GAUTAM
Steno Gr. Ist "Authenticate Document" Digitally signed by UMASHANKER GAUTAM
Date: 2026.06.13 12:57:31 +0530

(शैलेष जड़िया)
विशिष्ट न्यायाधीश
एन.डी.पी.एस. एक्ट न्यायालय
रामगंजमंडी, जिला कोटा(राज.)